पत्र सं0–स्था–2–यू0पी0वा0क0 मिनि0स्टाफ एसो0उ0प्र0–प्रत्या0/269/वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(स्थापना राज0 अनुभाग)
लखनऊ ::दिनांक:: 11 अप्रैल,2013

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, उ0प्र0।

विगत दिनों विभाग में कतिपय सीधी भर्ती 2009 बैच के वाणिज्य कर अधिकारियों तथा पदोन्नत वाणिज्य कर अधिकारियों द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है तथा इन्हें फील्ड में जोनल एडीशनल कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 / ज्वाइंट कमिश्नर के कार्यालयों से व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु सम्बद्ध किया गया है। विभागीय प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता के दृष्टिगत अभी समस्त अधिकारियों के विभागीय प्रशिक्षण में समय लगने की सम्भावना है तब तक इन अधिकारियों की जनशक्ति का विभागीय कार्यों में उपयोग किया जाना समीचीन होगा।

यह देखा गया है कि विभाग में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं, जिन्हें जनशक्ति के अभाव में गम्भीरता से पूर्ण नहीं कराया जाता है जैसे- डी0सी0आर0 का सत्यापन, बैंक में जमा धनराशियों का सत्यापन, भारतीय स्टेट बैंक / कोषागार में धनराशियों का हस्तान्तरण, कन्साइनमेन्ट एवं वीडिंग सम्बन्धी कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि पदोन्नति पाये वाणिज्य कर अधिकारी एवं सीधी भर्ती 2009 बैच के व्यवहारिक प्रशिक्षण हेतु जोनल कार्यालयों से सम्बद्ध सभी वाणिज्य कर अधिकारियों के ग्रुप बनाकर डी0सी0आर0 का सत्यापन सम्बन्धी कार्य, बैंक में जमा धनराशियों का सत्यापन, भारतीय स्टेट बैंक / कोषागार में धनराशियों का हस्तान्तरण एवं पत्रावलियों का कन्साइनमेन्ट व वीडिंग सम्बन्धी कार्य कराया जाय तथा इस हेतु पाक्षिक निष्पादन रिपोर्ट भी इन अधिकारियों से प्राप्त की जाय तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर इन अधिकारियों से कराये गये कार्य का विवरण मुख्यालय को भी उपलब्ध कराया जाय।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त उनसे प्राप्त आदेशों के क्रम में जारी किया जा रहा है।

11/04/13
(बी0राम शास्त्री)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।